न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

महिन्दर यादव

वनाम

सौदागर यादव

वाद संख्या–10 / 2013–14

वाद का प्रकार–अधिकार का प्रख्यापन

आदेश

10.01.2014 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि पर वादी के अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मोजा कुमतौल, थाना घनश्यामपुर जिला दरभंगा।

वाद पत्र में प्रश्नगत भूमि के कुल 9 (नौ) खेसराओं का जिक्र किया गया है। जो निम्नलिखित प्रकार है (खेसरा नं0–531, 06, 133, 1757, 1762, 1871, 1873, 1875, 2247) एवं सभी खेसराओं में अलग–अलग रकवा का जिक्र किया गया हैं जो वाद पत्र में दर्ज है।

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि वादी के दादा मेना गोप के नाम पुराना खतियान में नाम दर्ज है जिस आधार पर वादी का दावा प्रस्तुत किया गया है। वादी के दादा के नाम नया खतियान बना लेकिन अंश रकवा अन्य अजनवी के नाम से दर्ज हो गया जो वादी के परिवार के सदस्य नही है तथा नया खतियान के आधार पर प्रतिवादी वादी के पुराना खतियानी जमीन पर जबरन दावा प्रस्तुत कर विवाद किया करते है। पुराना खतियान के अवलोकन के बाद श्रीमान पाएगें वादी के खास दादा के नाम जमीन पर प्रतिवादीगण विवाद कर इस दावा पत्र को दाखिल करने का मौका दिये

है। वादी अपने नाम बना नया खतियान भी दाखिल किये है जिसमें प्रतिवादी का नाम बिना आधार का सामिल कर दिया गया है जो इस दावा पत्र को दाखिल करने का अधिकार आया है। वादी अपने दादा पिता के नाम प्राप्त जमीन का राजस्व जमाबंदी संख्या–30 के द्वारा अद्यतन राजस्व भी स्वीकार कर दिया करते है तथा प्राप्ति रसीद भी दाखिल किये है ।

वहीं दुसरी ओर विपक्षीगण का संक्षेप में कहना है कि वाद कानुनी दृष्टी वो अधिनियम के आलोक में लॉ ऑफ एस्टोफेल एक्वीजीसेन्स एवं वेभर से पीड़ित है फिल काल बाधित हो जाता है। वाद पत्र में मॉग की गई अनुतोष के आलोक में वादी को मात्र सक्षम व्यवहार न्यायालय से ही अनुतोष देय हो सकता है क्योकि उनके द्वारा कथिम भूमि विवाद दिवानी प्रकृति का है फिर वाद लाने का कारण वो सी0 पी0 सी0 ऑडर 4 रूल (1) का अनुपालन नही किया गया है। वाद की भूमि वादी वो प्रतिवादी की संयुक्त परिवार की सम्पत्ति है जो उनके पुर्वज के नाम खतियान में दर्ज है खतियानी रैयती के उत्तराधिकारीयो में उक्त भूमि का अन्तरण हुआ वो फिर उन लोगो में अपना अपना हिस्सा आवंटित हुआ। तदनुसार ही वादी अपने हिस्सा एवं प्रतिवादी अपने हिस्सा को अधिकृत किये वो प्रयुक्ति करते रहे है वादी द्वारा वंश वृक्ष अधुरा दिये जाने के कारण पुर्ण वंश वृक्ष अधुरा दिये जाने के कारण पुर्ण वंश वृक्ष अन्त में दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 01 एवं 03 को अपने हिस्सा की भूमि खण्ड में अभिधारित वो अधिकृत है जिसका वो दखल कब्जा बरकरार रखे है प्रतिवादी संख्या 1 को अपना हिस्सा 4 कट्ठा 4 धुर एवं एक अन्य हिस्सेदार में भदैय यादव पे0 बनवाली यादव से केवाला संख्या 4337 दिनांक 19.04.82 एवं 02.08.88 4 कट्ठा 4 धुर खरीद है। इस प्रकार उन्हे कुल 8 कट्ठा 8 धुर भूमि उल्लिखित खेसरो से प्राप्त है जबकि प्रतिवादी संख्या 3 का अपनी हिस्सा प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 के प्राप्त भूमि द्वारा विक्रयपत्र का हाल सर्वे खतियान उनके विक्रेता भदैय यादव पे0 बनवाली यादव के नाम संधारित हुआ। प्रतिवादी संख्या 01 एवं 03 को अपनी अपनी भूमि बतौर हिस्सा में अंचल आमला के द्वारा निर्मित जमाबंदी तहत लगान रसीद कटती है प्रतिवादी संख्या 1 को जमाबंदी संख्या 1370 तहत लगान रसीद निर्गत है एवं अपने हिस्सा का हाल सर्वे खतियान भी मिला है। वास्तविक तथ्य यह है कि वादी महेन्द्र यादव वाद की

भूमि सय अपनी हिस्सा को पुर्ण विक्रय कर चुके है एवं सड़क पर कर्मानुसार विचरण करने लगे है उनका माथा खाली हो गया है एवं जैसे तैसे कलुषित प्रयास से प्रतिवादगणो के हिस्सा में सय प्राप्त करना चाहते है।

दोनो पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यो का अवलोकन किया। वादी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि का पुराना खतियान वादी के दादा के नाम से है परंतु वादी द्वारा इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। वादी का कहना है कि हाल खतियान में प्रतिवादीगण का नाम भी दर्ज है जो उनके वंश के नही है। वादी द्वारा हाल खतियान की प्रति संलग्न की गई है जिसमें वादी एवं केवल प्रतिवादी सं0–1, 2, 3, के नाम से प्रश्गनत भूमि दर्ज है अन्य प्रतिवादीगण का नाम दर्ज नही है प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल किया गया सत्यापित वंशावली से स्पष्ट होता है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1, 2, 3, एक ही वंश के है। दोनो ही पक्षो द्वारा हिस्सा–बटवारा संबंधी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अतएव वादी एवं प्रतिवादी 1, 2, 3, दोनो का हाल खतियान में प्रविष्टी दर्ज की गई है जो सही प्रतीत होता है। अतः वाद को खारिज किया जाता है। यदि वंशजो के बीच हिस्सा, बटवारा या स्वत्व का कोई मामला है तो वे सक्षम न्यायालय में आवेदन दे सकते है।

उपर्यूक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

10.01.14

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

10.01.14

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल